

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2013—आषाढ़ 4, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 जून 2013

क्र. 699-रा.स.-यू.ए.-5-2013.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (आठ) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित श्री कृष्ण कुमार तिवारी, एग्रीकल्चर इंजीनियर, 5/173, पारदा, न्यू संतोष डीजल्स, रीवा (म. प्र.) को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है।

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव,